माननीय इस्पात राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.11.2016 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई पहली बैठक का कार्यवृत्त

इस्पात मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 19.11.2016 को अपराह्न 5 बजे नई दिल्ली में माननीय इस्पात राज्य मंत्री, श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समिति की बैठक में जिन सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों ने भाग लिया, उनकी सूची 'अनुबंध' के रूप में संलग्न है।

2. सचिव महोदया ने अपने स्वागत भाषण में समिति को मंत्रालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति से अवगत करवाया और कहा कि भारत सरकार राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय के साथ-साथ सभी नियंत्रणाधीन उपक्रमों में भी राजभाषा नीति को नियमानुसार लागू करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्यों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इससे राजभाषा हिन्दी को समुचित बढ़ावा मिलेगा।

3. माननीय मंत्री महोदय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और यह सूचित किया कि हालांकि मंत्रालय की इस पुनर्गठित समिति की पहली बैठक आयोजित करने में विलंब हुआ है, लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि भविष्य में निरंतर समय पर इसकी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में हिंदी सलाहकार समिति के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय की राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों का भी उल्लेख किया और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्रालय के नियंत्राणाधीन कार्यालय 'ग' क्षेत्र में होते हुए भी राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापट्टनम को बधाई दी, जिसे हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदय की ओर से वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एनएमडीसी द्वारा किए जा रहे राजभाषा संबंधी कार्यों की भी सराहना की जिसके तहत कार्मिकों के लिए नकद पुरस्कार योजनाएं एवं मासिक हिन्दी प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने एचएससीएल, सेल एवं केआईओसीएल आदि कार्यालयों के साथ-साथ मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया और विशेष रूप से उन सभी उपक्रमों को बधाई दी जिन्हें मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा शील्ड/ट्राफी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाने के निदेश दिए।

4. समिति के सदस्य सचिव श्री टी. श्रीनिवास ने समिति के सदस्यों से दिनांक 24 फरवरी, 2014 को हुई समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया। उन्होंने मंत्रालय तथा उपक्रमों में हिंदी की प्रगति का पॉवर-पाइंट प्रस्तुति के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से समिति को यह अवगत कराया कि मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी पत्राचार एवं टिप्पणियां बढ़ाने के भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मंत्रालय एवं उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकों एवं कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय के अधीन आने वाले कुल 114 कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं और शेष 78 कार्यालयों को प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा होने पर उन्हें अधिसूचित करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी संबंधी ज्ञान के बारे में उन्होंने समिति को यह अवगत करवाया कि विशेष रूप से 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को

अभी भी प्रशिक्षित किया जाना शेष है जिसके लिए संबंधित उपक्रमों द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय के साथ-साथ सभी उपक्रमों की वेबसाइट द्विभाषी हैं और कम्प्यूटर भी यूनिकोड सुविधा से युक्त हैं जिन पर नियमानुसार कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी पदों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने समिति को अवगत कराया कि जहां पर ये पद नहीं हैं, वहां राजभाषा विभाग के मानदण्डों के अनुसार हिंदी पदों का सृजन करने एवं इन पर तत्काल भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सभी उपक्रमों को समुचित निदेश दिए गए हैं। हिंदी पुस्तकों पर नियमानुसार व्यय किया जा रहा है और मंत्रालय द्वारा "मौलिक पुस्तक लेखन योजना" के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमश: 25000, 20000 और 15000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है जिसके तहत अब तक वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सदस्य सचिव महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई केंद्रीय हिंदी समिति की पिछली बैठक से संबंधित सभी मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी और माननीय सदस्यों को इस संबंध में सुझाव हेतु आमंत्रित किया।

(कार्रवाई: इस्पात मंत्रालय एवं सभी उपक्रम)

5. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्यों ने मंत्रालय एवं उपक्रमों के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:-

(i) **श्री गोपाल कृष्ण फरलिया जी** ने मंत्रालय एवं उपक्रमों द्वारा हिन्दी पत्राचार में सुधार किए जाने पर बल दिया और कहा कि इस हेतु अधिकारियों द्वारा अपनी टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाएं और वे अपना कार्य हिंदी में करें। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हिन्दी कार्यशालाओं में वही लोग आते हैं, जो इनमें प्रशिक्षित होते हैं। अत: इन कार्यशालाओं में नए लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो अधिकारीगण कार्यशालाओं में भाग लें, वे हिंदी में काम भी करें तभी उसका फायदा होगा। मंत्रालय के रिक्त हिन्दी पदों को तत्काल भरा जाए। समिति के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि समिति के पुनर्गठन में जो समय लगा है उसकी पूर्ति समिति की अगली बैठक 2017 के शुरू में आयोजित करके की जा सकती है और यदि संभव हो तो दिल्ली के बाहर उपक्रमों में इसकी बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि सेल के उत्पादों की सूचना केवल अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है इसलिए लोगों को दूसरी कंपनियों की सेवा लेनी पड़ती है। मंत्रालय/उपक्रमों आदि की वेबसाइट पर पूरी-पूरी जानकारी हिंदी में भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से संयंत्र कहां-कहां हैं।

इस संबंध में सचिव महोदया ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में हिन्दी वेबसाइट पर सामग्री अद्यतन रहती है। तद्नुसार, मंत्रालय स्तर पर इसकी कोशिश की जा सकती है।

(ii) **श्रीराम परिहार जी** ने हिन्दी टिप्पणियों के बारे में जानना चाहा और हिन्दी कार्यशालाओं में अधिकाधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति पर जोर दिया। कार्यशालाओं में विषय से संबंधित विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मंत्रालय की मौलिक पुस्तक लेखन योजना का समुचित विस्तार किया जाए जिससे कि उसमें अधिकाधिक प्रतिभागी भाग ले सकें। हिन्दी के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। जहां हिन्दी के शब्द उपलब्ध हैं, वहां हमें अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे टाइपिस्ट की जगह टंकक और टेंडर की जगह निविदा जैसे हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। राजभाषा संबंधी निरीक्षण की रिपोर्टों पर सभी उपक्रमों द्वारा परस्पार सहयोग के माध्यम से सुधार के प्रयास किये जाएं।

इस पर सदस्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे।

(iii) **श्री बंड़ोपंत पाटील जी** ने कहा कि बैठक की कार्यसूची संबंधी जानकारी 15 दिन पहले दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने 14 बार राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बधाई दी और यह पुरस्कार आगे भी प्राप्त करते रहने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने सदस्यों को पहचान-पत्र जारी करने के लिए कहा तथा यह सुझाव भी दिया कि शील्ड/ट्रॉफी के लिए हिन्दी शब्द वैजयंती/मंजूषा का प्रयोग किया जाए और उपक्रमों के नाम भी हिंदी में लिखे जाएं ताकि जनसाधारण इसे समझ सके क्योंकि हिंदी हमारी अस्मिता एवं राष्ट्रीयता की पहचान है। वर्तनी की शुद्धता पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिसमें समिति के सदस्यों को भी व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाए।

(iv) **श्री चंद्रकांत जोशी जी** ने इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट अद्यतित न होने की बात कही और कहा कि मंत्रालय और उपक्रमों की वेबसाइट सर्वप्रथम हिंदी में खुलनी चाहिए। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जाए तथा उसका ब्यौरा वेबसाइट पर डाला जाए। सोशल मीडिया पर भी मंत्रालय की उपस्थिति को बढ़ावा मिलना चाहिए।

(v) **प्रो.(डॉ.) त्रिभुवननाथ शुक्ल जी** ने कहा कि हमें सरकारी काम-काज में भी मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। मानकीकरण में सरल वर्तनी का प्रयोग हो, इसके लिए हिंदी कार्यशालाओं में अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि मूल रूप में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा मिल सके। कार्यशालाओं में हिंदी वर्तनी के मानकीकरण पर ध्यान दिया जाये।

(vi) **श्री देशपाल सिंह राठौर जी** ने कहा कि मंत्रालय सहित सभी उपक्रमों की वेबसाइटें सर्वप्रथम हिंदी में खुलनी चाहिएं और वे अद्यतन एवं यूनिकोड में हों। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर उपलब्ध हिन्दी शब्दों का ही प्रयोग किया जाए।

इस पर सदस्य सचिव महोदय ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय की वेबसाइट में हिन्दी और अंग्रेजी के दोनों ही विकल्प हैं जिसे वांछित भाषा में देखा जा सकता है।

(vii) **श्री प्रभात वर्मा जी** ने कहा कि ढाई वर्ष के अंतराल के बाद यह बैठक हो रही है इसलिए उसकी अगली बैठक निर्धारित समय पर की जाए। हिन्दी टिप्पणियों के आंकड़ों में सुधार करने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में निरंतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(viii) **श्रीमती क्रांति कनाटे** ने कहा कि रेलवे की हिंदी सलाहकार समिति की भॉति इस्पात मंत्रालय में भी समिति के गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के तौर पर नामित किया जा सकता है तथा मंत्रालय को यदि कहीं से भी हिंदी पुस्तकों की कोई सूची प्राप्त हो तो मंत्रालय की पुस्तक चयन समिति इस पर विचार करे तथा पुस्तकालय हेतु अधिक से अधिक हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए।

(ix) **प्रो. विकास दवे जी** ने कहा कि आरआईएनएल की तरह हमें अन्य सभी उपक्रमों की पत्रिकाएं भी समय-समय पर मिलती रहें। हिंदी के रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जाए और राजभाषा के निर्देशों का समुचित पालन किया जाए। हिन्दी की प्रगति के आंकड़े ग्राफिक्स के रूप में बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों के चरित्र निर्माण संबंधी पुस्तकें भी पुस्तकालयों में रखी जाएं।

इस पर सदस्य सचिव महोदय ने समिति को बताया कि मंत्रालय तथा उपक्रमों द्वारा हिन्दी पुस्तकों पर निर्धारित राशि व्यय की जा रही है, जबकि एनएमडीसी और एचएससीएल जैसे उपक्रम इस पर शत-प्रतिशत राशि व्यय कर रहे हैं।

(x) राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि **डॉ. एस. पी. शुक्ल** ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का प्रदर्शन अच्छा करने लिए जरूरी है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा हिंदी में काम बढ़ाया जाए। राजभाषा विभाग के अनुसार कार्यशालाओं में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। मंत्रालय को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी आंकड़ों की जांच करनी चाहिए जिसके लिए निरीक्षण के न्यूनतम 25 प्रतिशत के लक्ष्य से भी अधिक कार्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। पुस्तकों की खरीद पर व्यय की राशि बढ़ाई जाए। मंत्रालय की मौलिक पुस्तक लेखन की योजना की राशि काफी कम है जिसमें तकनीकी क्षेत्र से संबंधित हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने हेतु समुचित वृद्धि की जाए। उन्होंने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी पदों को सृजित करने और उन्हें भरने के संबंध में केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय से समिति को यह अवगत करवाया कि निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी पद सृजित किए जाएं और इन पर हिन्दी अधिकारी ही भर्ती किए जाएं न कि कोई मनोनीत अधिकारी तैनात किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी काम-काज में हमें सरल-सुबोध हिन्दी पर बल देना चाहिए जिसमें एकरूपता हेतु शब्दावली आयोग द्वारा मान्य शब्दों का ही प्रयोग किया जाए।

(कार्रवाई: इस्पात मंत्रालय एवं सभी नियंत्रणाधीन उपक्रम)

6. आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **श्री पी. मधुसूदन** ने अपने उपक्रम की राजभाषा संबंधी उत्कृष्ट गतिविधियों की ओर समिति का ध्यान आकर्षित करते हुए आरआईएनएल के काम-काज में हिन्दी की बेहतर स्थिति का उल्लेख किया और समिति को यह बताया कि उसे राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में 14 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और इस संबंध में मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन हो रहा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया है कि हम सैप (SAP) सिस्टम में भी हिंदी पूरी तरह लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह इस्पात उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राजभाषा हिन्दी की प्रगति में निरंतर सुधार एवं इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यह बैठक यदि विशाखापट्टनम में आयोजित की जाए तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी।

7. चर्चा के उपरान्त सदस्य सचिव महोदय ने माननीय इस्पात राज्य मंत्री और सचिव महोदया से राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए निम्नानुसार इस्पात राजभाषा शील्ड/ ट्रॉफी तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया:-

क्र.सं.	**इस्पात राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी**	**उपक्रम का नाम वर्ष 2014-15**	**उपक्रम का नाम वर्ष 2015-16**
1	इस्पात राजभाषा शील्ड **(प्रथम पुरस्कार)**	विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम	एन.एम.डी.सी., हैदराबाद
2	इस्पात राजभाषा ट्रॉफी **(द्वितीय पुरस्कार)**	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम
3	इस्पात राजभाषा ट्रॉफी **(तृतीय पुरस्कार)**	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता
4	'ग'' क्षेत्र में स्थित उपक्रमों के लिए इस्पात **राजभाषा प्रोत्साहन शील्ड**	एन.एम.डी.सी., हैदराबाद	केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलूरू

संबंधित उपक्रमों के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित राजभाषा अधिकारी ने माननीय मंत्री जी के कर कमलों से उक्त शील्ड/ ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्राप्त किए।

8. पुरस्कार वितरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा आरआईएनएल की पत्रिका " सुगन्ध" , एनएमडीसी की पत्रिका "खनिज भारती" और एमएसटीसी की "संगति" तथा एफएसएनएल की गृह पत्रिका "फैरो ज्योति" का विमोचन किया गया। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्य प्रो. (डॉ.) त्रिभुवननाथ शुक्ल जी की पुस्तक "हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण और मानकीकरण" का भी विमोचन किया गया।

9. बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने तथा मंत्रालय एवं उपक्रमों में राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए दिए गए उनके सभी सकारात्मक एवं रचनात्मक सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया और यह आश्वासन दिया कि समिति के सभी माननीय सदस्यों ने इस बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने के लिए जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उन्हें मंत्रालय सहित सभी उपक्रमों में लागू किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस्पात राज्य मंत्री महोदय और सचिव (इस्पात) महोदया का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस बैठक में सहभागिता के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और समिति का यथोचित मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने बैठक के सफल आयोजन की समुचित प्रबंध व्यवस्था के लिए सेल सहित सभी संबंधित उपक्रमों के साथ-साथ मंत्रालय के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से यह बैठक सुचारू रूप से आयोजित हो सकी।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

****

अनुबंध

इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 19.11.2016 को नई दिल्ली में हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

	सर्वश्री/सुश्री	
1.	विष्णु देव साय, इस्पात राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	गोपाल कृष्ण फरलिया	गैर सरकारी सदस्य
3.	क्रांति कनाटे	गैर सरकारी सदस्य
4.	डॉ. श्रीराम परिहार	गैर सरकारी सदस्य
5.	डॉ. विकास दवे	गैर सरकारी सदस्य
6.	प्रो. त्रिभुवन नाथ शुक्ल	गैर सरकारी सदस्य
7.	चन्द्रकांत जोशी	गैर सरकारी सदस्य
8.	प्रभात वर्मा	गैर सरकारी सदस्य
9.	पुनीत प्रधान	गैर सरकारी सदस्य
10.	डॉ. बंडोपंत पाटील	गैर सरकारी सदस्य
11.	देशपाल सिंह राठौर	विशेष आमंत्रित

इस्पात मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के अधिकारीगण

	सर्वश्री/सुश्री	
12.	डॉ. (श्रीमती) अरूणा शर्मा, सचिव (इस्पात)	सदस्य
13.	श्रीमती भारती एस. सिहाग, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सदस्य
14.	टी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव	सदस्य-सचिव
15.	श्रीमती उर्विला खाती, संयुक्त सचिव	उपस्थित
16.	भूपाल नन्दा, मुख्य लेखा नियंत्रक	उपस्थित
17.	अनुपम प्रकाश, निदेशक	उपस्थित
18.	सुभाष भट्टाचार्या, उप-सचिव	उपस्थित
19.	नरेश वाधवा, उप-सचिव	उपस्थित
20.	शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	उपस्थित
21.	डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा प्रतिनिधि

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के अध्यक्ष/अधिकारीगण

सर्वश्री/सुश्री		
1.	पी.के. सिंह, अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सदस्य
2.	पी. मधुसूदन, अध्यक्ष एवं सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	सदस्य
3.	मलय चटर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के.आई.ओ.सी.एल.	सदस्य
4.	एम. भादुड़ी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	सदस्य
5.	मुकुंद चौधरी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉयल लिमिटेड	सदस्य
6.	राजीव भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, एफ.एस.एन.एल.	सदस्य
7.	संदीप तुला, निदेशक (कार्मिक), एनएमडीसी लिमिटेड	उपस्थित
8.	जी.बी.एस. प्रसाद, निदेशक (कार्मिक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	उपस्थित
9.	वी. वेणुगोपाल, कार्यपालक निदेशक, मेकॉन लिमिटेड	प्रतिनिधि
10.	एम.पी. श्रीवास्तव महाप्रबंधक, एम एस टी सी लि.	प्रतिनिधि
11.	ललन कुमार, सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	उपस्थित
12.	रूद्रनाथ मिश्र, सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	उपस्थित
13.	संजय उपाध्याय, सहा. महाप्रबंधक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	उपस्थित
14.	चन्द्रशेखर उरकड़े, प्रबंधक (राजभाषा), के.आई.ओ.सी.एल.	उपस्थित
15.	फागु सिंह, राजभाषा प्रभारी अधिकारी, एच.एस.सी.एल.	उपस्थित
16.	छगन लाल नागवंशी, कार्यपालक (राजभाषा), एफ.एस.एन.एल.	उपस्थित